न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी [illegible] (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायरा	तारीख फैसला
25/2018	12-11-2018	[illegible]

[illegible]

01. [illegible] पुत्र श्री [illegible] [illegible] निवासी वार्ड नं 15 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. [illegible] पुत्र श्री [illegible] मृतक
   2/1 – [illegible] की [illegible]
   2/2 – [illegible] पुत्री [illegible] की [illegible] [illegible] 2 [illegible]
   2/3 – [illegible] पुत्री [illegible] की [illegible] [illegible] 1 [illegible]
   2/4 – [illegible] पुत्री [illegible] की [illegible] [illegible] 2 [illegible]
   2/5 – [illegible] पुत्र [illegible] की [illegible] [illegible] 2 [illegible]
   2/6 – [illegible] पुत्र [illegible] की [illegible] [illegible] 1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निवासीगण वार्ड नं 15 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
03. [illegible] की [illegible]
04. [illegible]
05. [illegible]
06. [illegible]
07. [illegible] पुत्रान [illegible] [illegible] [illegible] निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——: वादीगण

बनाम

01. [illegible] पुत्र श्री [illegible] लाल
02. [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] लाल [illegible] निवासीगण मोहल्ला [illegible] वार्ड नं 15 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——: प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर [illegible] [illegible] [illegible] बिस्वा, [illegible] रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जिसका [illegible] बिस्वा रकबा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी है। आराजी उक्त

शेष के दादा श्री चिम्मनलाल पुत्र श्री [illegible] जाति खत्री निवासी [illegible] खातेदारी चिम्मन लाल ने सनद संख्या 1928 दिनांक 05.01.78 को तहसील तिजारा से नियमानुसार कीमत कर्जा जमा करवाकर प्राप्त करली थी। बाद लेने सनद मृतक श्री चिम्मन लाल ने उपरोक्त जिमन नं. 2 में वर्णित साबिक खसरा नम्बर जिनके हाल खसरा नम्बर सैटलमेण्ट विभाग ने 243, 401 पैमूद किये है जिनका रकबा सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा 2 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 2 बीघा 15 बिस्वा कर दिया था का अंकन दर्ज बयनामा करते हुये मृतक चिम्मन लाल ने अपनी उपरोक्त आराजी का बेचान हम वादीगण 1 लगायत 3 के मृतक पिता पति श्री प्रभसिंह व वादी संख्या 4 लगायत 7 के साथ जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.07.78 व पंजिबद्ध दिनांक 13.7.78 के द्वारा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल राशि मृतक चिम्मन लाल ने सालिम 6 हजार रूपये प्राप्त कर नियमानुसार उप पंजियक महोदय, तिजारा के समक्ष बयनामा पंजिबद्ध करा दिया तथा मौके पर हम वादीगण का वास्तविक कब्जा करा दिया तथा जिस आराजी पर वक्त बयनामा से लेकर आज तक हम वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार खरीददार काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है तथा मौके पर हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है। हम वादीगण कानून कायदे के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है हम वादीगण को कतई तोर पर कोई ज्ञान नही था तथा हम वादीगण ने बयनामा पंजिबद्ध कराने के बाद पटवारी हल्का को दे दिया तथा पटवारी हल्का ने भी इंतकाल दर्ज कर हमसे कहा कि सारी जमीन का इंतकाल आपके हक में स्वीकार हो चुका है। हम वादीगण तत्कालीन पटवारी हल्का के विश्वास में आ गया किन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी चिम्मन लाल से साज बाज हो गया तथा मुताबिक बयनामा सारी जमीन का इंतकाल दर्ज ना करके हम वादीगण के नाम से महज एक बीघा सत्रह बिस्वा का इंतकाल तो दर्ज कर दिया तथा शेष 18 बिस्वा रकबा बदस्तुर चिम्मन लाल के नाम ही छोड दी जो आज भी चिम्मन लाल के नाम ही चली आ रही है। जो अंकन चिम्मन लाल बाद बयनामा से लेकर आज तक हम वादीगण के हकूकों के विरुद्व बातिल व बेअसर है नाकाबिले पाबन्दी है काबिले दुरुस्ती है। जिसे हजफ कराकर हम वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड से मृतक चिम्मन लाल व प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हजफ कराकर अपने नाम का अंकन बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के हकदार है जिसके लिऐ दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है। वाद के साक्ष्य सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तलबी उपरान्त प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य वादीगण शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक बयनामा दिनांक 13.07.78 चिम्मन लाल द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 243 रकबा 10 बिस्वा व 401 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का बेचान वादीगण के पिता/पति को किया गया। जिसके आधार पर वादीगण का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

15 बिस्वा चाक ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर के 18 बीघा 5 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर दर्ज प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/5 भाग व वादी संख्या 4 लगायत 7 के 1/5, 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्रभान के गलत नाम के स्थान पर सही नाम चन्द्रराम व प्रतिवादी संख्या 2 राजू उर्फ ओम के गलत नाम के स्थान पर सही नाम राजू उर्फ ओमप्रकाश पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
25 / 2008	02-01-2008	27/10/2020

उनवान

01. दौलतराम पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति माली निवासी वार्ड नं0 15 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. खिल्लुराम पुत्र श्री प्रेमसिंह (मृतक)
    2/1 – श्रीमती गीता सैनी पत्नी स्व0 श्री खिल्लुराम
    2/2 – निकिता सैनी पुत्री स्व0 श्री खिल्लुराम उम्र करीब 9 साल
    2/3 – तन्नु सैनी पुत्री स्व0 श्री खिल्लुराम उम्र करीब 7 साल
    2/4 – हिमांशी सैनी पुत्री स्व0 श्री खिल्लुराम उम्र करीब 3 साल
    2/5 – जय सैनी पुत्र स्व0 श्री खिल्लुराम उम्र करीब 5 साल
    2/6 – प्रशान्त सैनी पुत्र स्व0 श्री खिल्लुराम उम्र करीब 1 साल नाबालिगान जरिये वलीसरपरस्त सरंक्षक माता श्रीमती गीता सैनी जाति माली निवासीगण वार्ड नं0 15 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
03. इमरती स्त्री श्री प्रेमसिंह
04. कर्णसिंह
05. कैलाशचन्द
06. धनसिंह
07. उदेसिंह पुत्रान हरफूल सैनी जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. चन्द्रभान पुत्र श्री चिम्मन लाल
02. राजू उर्फ ओम पुत्र खेमचन्द नबीरा चिम्मन लाल कौम खत्री निवासीगण मौहल्ला काजीवाडा वार्ड नं0 19 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

आराजी हाल खसरा नम्बर 243 रकबा 10 बिस्वा, 401 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर के 18 बिस्वा पर दर्ज प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/5 भाग व वादी संख्या 4 लगायत 7 के 1/5, 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

27/10/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्रभान के गलत नाम के स्थान पर सही नाम चन्द्रराम व प्रति वादी संख्या 2 राजू उर्फ ओम के गलत नाम के स्थान पर सही नाम राजू उर्फ ओमप्रकाश पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)